न्यायालय सहायक कलक्टर शाहपुरा जिला जयपुर (राजस्थान)

पीठासीन अधिकारी :– श्री मनमोहन मीना, आर ए एस

वाद संख्या :– 51 / 2021 25/2019

उनवान

1 प्रकाश चन्द उर्फ जयप्रकाश पुत्र श्री सुवालाल जाति जाट निवासी ब्राहमणों का मोहल्ला ग्राम नयाबास तहसील शाहपुरा जिला जयपुर।

वादी

बनाम

1 महेश चन्द पुत्र सुवालाल

2 कन्हैयालाल पुत्र नाथूराम

3. मंगलचन्द पुत्र नाथूराम

समस्त जाति जाट निवासी ब्राहमणों का मौहल्ला ग्राम नयाबास तहसील शाहपुरा जिला जयपुर।

4. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार शाहपुरा तहसील शाहपुरा जिला जयपुर

प्रतिवादीगण

वाद पत्र दुरूस्ती इन्द्राज घोषणा खातेदारी व स्थाई निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 88,89,188 आर टी ए

निर्णय दिनांक 29.08.2022

प्रकरण संक्षेप में इस प्रकार है । वादी के द्वारा वाद पत्र पेश कर जाहिर किया कि आराजी खसरा नम्बर 960, 961, 965, 968 लगायत 971, 973, 967, 972 कुल किता 10 रकबा 6.24 है0 वाकै ग्राम नयाबास तहसील शाहपुरा में स्थित है। जिसमें वादी का हिस्सा 1/6 प्रतिवादी संख्या 1 का हिस्सा 1/6, प्रतिवादी संख्या 2 का हिस्सा 1/3, प्रतिवादी संख्या 3 का हिस्सा 1/3 के खातेदार काश्तकार है। उक्त आराजी वादी के नाम से पहले नाबालिग खरीदशुदा भूमि है जिसमें गलती से वादी का घरेलु नाम जयप्रकाश लिखा गया जबकि उसका स्कूल में नाम प्रकाशचन्द रहा है जो कि जयप्रकाश व प्रकाशचन्द एक ही व्यक्ति है जो सुवालाल का पुत्र है। राजस्व रिकार्ड में जयप्रकाश पुत्र सुवालाल अंकित कर दिया जबकि वादी का सरकारी दस्तावेजों में प्रकाशचन्द नाम अंकित है जिसके राजस्व रिकार्ड में प्रकाशचन्द उर्फ जयप्रकाश किया जाना उचित है। वादी का नाम गलतरूप से इन्द्राज होने के कारण सरकार योजनाओं से महरूम होना पड रहा है तथा यह वाद पत्र दुरूस्ती हेतु पेश किया जाना आवश्यक हुआ है।

वादपत्र पेश होने पर रिपोर्ट सरिस्ता ली जाकर वाद पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण की तलबी की गई। प्रतिवादीगण की ओर से कोई उपस्थित नही। वादी की ओर से सरपंच ग्राम पंचायत नयाबास के द्वारा प्रमाण पत्र व अन्य दस्तावेज पेश कर जाहिर किया जयप्रकाश व प्रकाशचन्द एक ही व्यक्ति है। वादी के द्वारा पेश दस्तावेजात में भी प्रकाशचन्द पुत्र सुवालाल दर्ज है।

हमने पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया तथा वकील वादी की बहस व वादी के द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजात व पटवारी हल्का, नायब तहसीलदार अमरसर, राजस्व रिकार्ड की गहनता से परीक्षण किया गया । वादी का नाम दस्तावेजात में प्रकाशचन्द है लेकिन राजस्व रिकार्ड में जयप्रकाश दर्ज है।

अतः दावा वादी के हक में डिक्री किया जाता है कि हाल आराजी खसरा नम्बर 960, 961, 965, 968 लगायत 971, 973, 967, 972 कुल किता 10 रकबा 6.24 है0 वाकै ग्राम नयाबास तहसील शाहपुरा में दर्ज खातेदार जयप्रकाश पुत्र सुवालाल के स्थान पर प्रकाशचन्द उर्फ जयप्रकाश पुत्र सुवालाल जाति जाट निवासी नयाबास दर्ज किये जाने के आदेश दिये

सहायक कलक्टर
शाहपुरा (जिला–जयपुर) राज

जाते है। शेष इन्द्राज यथावत रहेगें । तदानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद करने हेतु तहसीलदार शाहपुरा लिखा जावे। पर्चा डिक्री जारी हों।

निर्णय आज दिनांक 29.8.20202 को सरै इजलास सुनाया गया ।

(मनमोहन)
सहायक कलक्टर(फा.ट्रै)
शाहपुरा जिला जयपुर

मूल वाद में डिक्री

(आदेश 20 के नियम 6 और 7)

प्रपत्र – 5

न्यायालय सहायक कलक्टर शाहपुरा जिला जयपुर (राजस्थान)

पीठासीन अधिकारी :– श्री मनमोहन मीना, आर ए एस

वाद संख्या :– 51/2021

उनवान

1 प्रकाश चन्द उर्फ जयप्रकाश पुत्र श्री सुवालाल जाति जाट निवासी ब्राहमणों का मोहल्ला ग्राम नयाबास तहसील शाहपुरा जिला जयपुर।

वादी

बनाम

1 महेश चन्द पुत्र सुवालाल

2 कन्हैयालाल पुत्र नाथूराम

3. मंगलचन्द पुत्र नाथूराम

समस्त जाति जाट निवासी ब्राहमणों का मौहल्ला ग्राम नयाबास तहसील शाहपुरा जिला जयपुर।

4. .राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार शाहपुरा तहसील शाहपुरा जिला जयपुर

प्रतिवादीगण

वाद पत्र दुरूस्ती इन्द्राज घोषणा खातेदारी व स्थाई निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 88,89,188 आर टी ए

निर्णय दिनांक 29.08.2022

अतः दावा वादी के हक में डिक्री किया जाता हैं कि हाल आराजी खसरा नम्बर 960, 961, 965, 968 लगायत 971, 973, 967, 972 कुल किता 10 रकबा 6.24 है0 वाकै ग्राम नयाबास तहसील शाहपुरा में दर्ज खातेदार जयप्रकाश पुत्र सुवालाल के स्थान पर प्रकाशचन्द उर्फ जयप्रकाश पुत्र सुवालाल जाति जाट निवासी नयाबास दर्ज किये जाने के आदेश दिये जाते है। शेष इन्द्राज यथावत रहेगें । तदानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद करने हेतु तहसीलदार शाहपुरा लिखा जावे। पर्चा डिक्री जारी हों।

निर्णय आज दिनांक 29.8.20202 को सरै इजलास सुनाया गया ।

(मनमोहन)
सहायक कलक्टर(फा.ट्रै)
शाहपुरा जिला जयपुर

वाद के खर्चे

वादी		प्रतिवादी	
	रूपया		रूपया
1. वाद पत्र के लिए स्टाम्प 2. शक्ति पत्र के लिए स्टाम्प 3. प्रदर्शो के लिए स्टाम्प 4. .... रूपये पर प्लीडर की फीस 5. साक्षियों के लिए निर्वाह – व्यय 6. कमिश्नर की फीस 7. आदेशिका की तामिल		शक्ति पत्र के लिए स्टाम्प अर्जी के लिए स्टाम्प प्लीडर की फीस साक्षियों के लिए निर्वाह व्यय आदेशिका की तामील कमिश्नर की फीस	
जोड़		जोड़	